मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति

1915. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:**
श्री गोविन्दराम मिरी:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति किये जाने का कोई प्रबंध है;

(ख) क्या रियायती दर पर आयोडीन युक्त नमक के वितरण के लिए कोई अनुदान/सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार को आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल और साफ्ट कोक/सी॰आई॰एल॰ कोक की अधिप्राप्ति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, को थोक में उनका आवंटन करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में आयोडाइण्ड नमक वितरित किया जा रहा है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले ब्लाक सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडाइण्ड नमक के वितरण के लिए किसी विशेष राजसहायता/सहायता मंजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्रों में भविष्य निधि कानूनों का कार्यान्वयन

1916. **श्री कामेश्वर पासवान:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि कानून लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है;

(ख) क्या जब तक इस कानून को लागू करने वाली एजेन्सी को सुव्यवस्थित (सुचारू) नहीं बनाया जाता तब तक अधिकांश कर्मकारों को इसके लाभों से वंचित रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली और इसके आसपास विकसित औद्योगिक एककों में हजारों कर्मकार भविष्य निधि और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अधिकारियों की जिम्मेदारियों निर्धारित करने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया जा सके?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। यह अधिनियम आरम्भ में 6 विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू होता था। इसे अब 171 अन्य उद्योगो/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू कर दिया गया है । यह अधिनियम अपनी ही शक्ति से लागू होता है। यदि अधिनियम के दायरे में आने वाला कोई नियोजक भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक करता है तो क॰भ॰नि॰ संगठन इस अधिनियम के अंतर्गत पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी और दाण्डिक कार्रवाई करता है।

दिल्ली में क॰भ॰नि॰ योजना के अंतर्गत व्याप्ति में सतत् विस्तार हो रहा है। 31.3.94 को स्थिति के अनुसार दिल्ली में क॰भ॰नि॰ योजना के अंतर्गत 7,76,083 कर्मकार शामिल थे जबकि पूर्ववर्ती आलोच्य वर्ष के दौरान 7,56,500 कर्मकार शामिल थे। अत: दिल्ली के हजारों कर्मकारों को भविष्य निधि के लाभों से वंचित किये जाने के लिए किसी अधिकारी को दंडित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Decline in Domestic Consumption of Tea

1917. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the domestic consumption of tea is on the decline if so, the steps taken by Government to promote tea as our national beverage;

(b) whether the Tea Board would undertake special promotion measures like opening of tea sales outlets all over India on the lines of Coffee Board outlets and also open and operate tea vends in cities and reailway stations; and

(c) whether Government would consider imposing levy on tea manufacturers to create a